रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 1972/माघ 8, 1893

No. 25] **NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 1972/MAGHA 8, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28*th January* 1972

SUBJECT:—*Revision of composite rate in respect of foreign currencies consequent on the monetary changes which have been brought about with effect from* 20*th December*, 1971.

No. 15-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 110-ITC(PN)/71, dated the 1st September, 1971, regarding arrangements for the deposit of the rupee equivalents of the cost of imports made by importers under the direct payment procedure as applicable to foreign credits consequent upon the fluctuation of the foreign currencies with effect from 23rd August, 1971.

2. Consequent on the monetary changes which have been brought about in the case of foreign currencies *viz*., U. S. Dollar etc. and the new rupee exchange rates for buying and selling Pound Sterling effective from the 20th December, 1971, the procedure indicated in the Public Notice dated the 1st September, 1971

mentioned above for the calculation of the rupee deposits to be made by importers under various foreign currencies is revised as indicated below:—

3. **Method of Calculation of new composite rate.**—The rupee equivalent of *disbursement in respect of all foreign currencies where the exchange rates vis-a-vis Pound Sterling are affected* should be calculated with reference to the London daily Selling Rates for the particular foreign currency ruling on the date of payment to the foreign supplier (which are available with all the authorised dealers in foreign exchange). The exact amount payable should be worked out in the manner indicated below.

Since the London rates are expressed in terms of Pound Sterling only i.e. 1 £ Sterling=....DM/....DG/....$, etc. the same should first be converted into Rupees by applying the rate of conversion of Sterling into Rupees which is at a fixed rate of exchange namely £ Sterling 5.2392=Rs. 100 (Bank's B.C. Selling Rate of Sterling in India). This conversion will give the rate of DM/DG/$ etc., in terms of Rs. 100 (i.e. Rs. 100=DM..../DG..../$.........etc.). Thereafter the rate should be worked out in terms of 1 DM/DG/$ etc. (i.e. 1 DM/1 DG/1 $ etc. is=Rs. ....) and to this should be added the margin of 0.7 per cent to arrive at the applicable rate of recovery of the rupee equivalent in question. To quote an example the composite rate for Deutsche Mark may be arrived at as under:—

(i) If the London Daily Selling rate for Deutsche Mark is Pound 1 Deutsche Mark 8.3075 on the date of payment and the Bank's B.C. Selling Rate for Sterling in India is Pound 5.2392=Rs. 100 (which is a fixed rate now), the composite rate for Deutsche Mark as on that date will be:—

1. Deutsche Mark= $\frac{100}{5.2392 \times 8.3075}$ =Rs. 2.2975

Add O. 70% .... Rs. 0.0161

2.3136

Or Rs. 2.32 when rounded off to the next higher paise.

(ii) **Pound Sterling.**—The composite rate for Pound Sterling may be calculated as under:—

The Banks' B.C. Selling Rate for Sterling is fixed at Pound 5.2392=Rs. 100. The composite rate for sterling will be:

Pound 1=Rs. 19.0869
Add O.70% Rs. 0.1336

19.2205

Or Rs. 19.23 when rounded off to the next higher paise.

This new composite rate is applicable in respect of all payments made on or after 20th December, 1971, until further notice.

4. **Responsibility of Importers.**—All importers holding import licences are advised to note the above changes in the composite rate carefully and also ensure that the necessary rupee deposits are made by them through their Banks calculated with refence to the above rate. In case, deposits have already been made at the old rate the importers should take immediate steps to make good the short deposits, if any, through their Bankers who have the information regarding the day-to-day London Rates.

5. **Change in value of import licences.**—Since the London rates and consequently the composite rates applicable for recovery of rupee equivalents are different from the IMF Parity Rate (on the basis of which the import licences are presumed to have been issued) and the existing composite rates, some adjustments in the value of import licences will be necessary to the extent of

payments made in foreign currencies with effect from the 20th December, 1971. However, since the new rates are not fixed but vary from day-to-day, it is not possible to allow any specific increase or decrease in the value of the licence and amend the licences accordingly in advance in each case. The question of excess in the value of the import licences would arise in cases of currencies whose floating rates are higher than the earstwhile IMF party rate for specific imports in foreign exchange. In case there is any excess due mainly to the daily rates of exchange being higher than the earstwhile IMF party rates/composite rates, it will not be necessary for the value of the import licence to be specifically modified by the licensing authorities to cover such increase. In such cases it has been decided that the licences may be deemed to have been amended automatically in value to the extent necessary.

6. **Change in Bank Guarantee Amounts.**—The Bank Guarantees will also need to provide additionally that the Banks undertake, wherever necessary to make additional amounts at the new rates. However, since the new rates are not fixed but vary from day-to-day, the values of the bank guarantees cannot be amended for any definite amounts. The importers should, therefore, amend the existing bank guarantees where necessary to provide that "the bank undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of this Public Notice". Such a provision will also be made in all the bank guarantees to be executed in future.

7. **Change in existing licensing conditions.**—The licensing conditions as announced in the Public Notices issued from time to time as well as the bank guarantees governing individual import licences may be deemed to have been amended to the extent necessary in the light of this Public Notice.

8. **General.**—The various authorised dealers in foreign exchange are also being advised separately by the Reserve Bank of India about the above arrangements for their information and guidance.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1972

विषय: 20–12–1971 से हुए मौद्रिक परिवर्तनों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में मिली–जुली दर में संशोधन ।

संख्या 15–आई०टी०सी० (पी०एन०) 72––विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 110–आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो 23 अगस्त, 1971 से विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप विदेशी साखों के लिये यथा लागू सीध भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत आयातकों द्वारा किये गये आयातों की लागत के समतुल्य रुपये जमा करने के लिये व्यवस्था करने के सम्बन्ध में थी।

2. मौद्रिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो विदेशी मुद्राओं के मामले में जैसे यू०एस० डालर आदि तथा 20 दिसम्बर, 1971 से लागू होने वाली पौंड स्टर्लिंग की खरीद और बिक्री के लिए नये रुपये की परिवर्तन दरों के लिये लागू किए गये हैं, आयातकों द्वारा विभिन्न विदेशी मुद्राओं में रुपये में किये जाने वाले भुगतान का परिकलन उपर्युक्त 1 सितम्बर, 1971 की सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया को निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है :—

3. **नयी मिली–जुली दर के परिकलन की विधि.**— सभी प्रकार की विदेशी मुद्राओं के सम्बन्ध में समतुल्य रुपये के भुगतान जहां पौंड स्टर्लिंग की तुलना में परिवर्तन दरों से प्रभावित होते हों तो उसका परिकलन विदेशी संभरकों को किये गये भुगतान की तारीख को किसी खास विदेशी मुद्रा के लिए लागू होने वाली लन्दन की दैनिक विक्रय दरों के संदर्भ में किया जाना चाहिये (यह विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत सभी व्यापारियों से प्राप्य है)। भुगतान किये जाने योग्य वास्तविक धनराशि का हिसाब नीचे के अनुसार लगाया जाना चाहिये :—

चूंकि लन्दन दरें केवल पौंड स्टर्लिंग अर्थात 1 पौंड स्टर्लिंग———डी एम/———डी जी/———डालर आदि में ही व्यक्त की जाती है, इसलिये पूर्वोक्त की प्रथमतः स्टर्लिंग को रुपये में परिवर्तन करने की दर को लागू करते हुए रुपये में परिवर्तन करना चाहिये जो परिवर्तन की निश्चित दर है और यह इस प्रकार है—पौंड स्टर्लिंग 5.2392=100 रुपये (भारत में स्टर्लिंग के लिये बैंक की बी० सी० विक्रय दर)। यह परिवर्तन 100 रुपये के नियमों के अनुसार (जैसे=100 रुपये=डी एम———/डीजी———/डालर———आदि) डी एम/डीजी/डालर आदि की दर प्रदान करेगा। इसके बाद दर का हिसाब 1 डी एम/डीजी/डालर आदि (जैसे-1 डीएम/1 डीजी/1 डालर आदि———रुपये) के नियमों के अनुसार लगाया जाना चाहिये और इसके लिये 0.7 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि जोड़ी जानी चाहिये जिससे कि विषयाधीन समतुल्य रुपये की वसूली की लागू होने वाली दर ठीक की जाए। उदाहरण के लिये ड्यूत्सखे मार्क के लिये मिली जुली दर को नीचे के अनुसार ठीक किया जा सकता है :—

(i) यदि भुगतान की तारीख को ड्यूत्सखे मार्क के लिये पौंड 1=ड्यूत्सखे मार्क 8.3075 है तो भारत में स्टर्लिंग के लिये बैंक की बी० सी० स्टर्लिंग दर पौंड 5.2392–100 रुपये (जो अभी निश्चित दर है) है, तो ड्यूत्सखे मार्क के लिये उस दिन की मिली–जुली दर इस प्रकार होगी :–

$$1 \text{ ड्यूत्सखे मार्क} = \frac{100}{5.2392 \times 8.3075} = 2.2975 \text{ रुपये}$$

जोड़ा जाए 0.70 प्रतिशत ——————— = 0.0161

——— रुपये

2.3136

या जब आने पैसे के लिए पूर्णांक किया जाए तो 2.32 रुपये।

(ii) **पौंड स्टर्लिंग**–पौंड स्टर्लिंग के लिये मिश्रित दर की गणना निम्नप्रकार से की जाए:–

स्टर्लिंग के लिये बैंकों की विक्रय दर 5.2392 पौंड=100 रुपये नियत है। इस स्टर्लिंग के लिये मिश्रित दर इस प्रकार होगी :—

1 पौंड 19.0869 रुपये

जोड़ा जाए

0.70 प्रतिशत 0.1336 रुपये

———

19.2205

या जब अगले पैसे के लिये पूर्णांक किया जाए तो 19.23 रुपये। यह नई मिश्रित दर 20 दिसम्बर, 1971 को अथवा इसके बाद किये गये सभी भुगतानों के लिये आगामी सूचना के जारी होने तक लागू होगी।

4. **आयातकों का उत्तरदायित्व**—उन सभी आयातकों को जिन के पास आयात लाइसेंस हैं, यह परामर्श दिया जाता है कि वे मिश्रित दर में उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक नोट करलें और यह भी सुनिश्चित करलें कि उन्होंने उपर्युक्त दर के संदर्भ में परिकलित आवश्यक रुपया अपने बैंक के माध्यम से निक्षेप कर दिया है। यदि निक्षेप पहले ही पुरानी दर से कर दिये गये हों और निक्षेपों में यदि कुछ बाकी रह गया हो तो उस कमी को पूरा करने के लिये आयातकों को अपने उन बैंकों के माध्यम से तुरन्त कार्रवाही करनी चाहिये, जिन के पास लंदन दरों की प्रतिदिन की जानकारी होती है।

5. **आयात लाइसंस के मूल्य में परिवर्तन**—चूंकि लंदन दरें और इसके परिणामस्वरूप तुल्य रुपये की वसूली के लिये लागू मिश्रित दरें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि समानता दर और वर्तमान मिली जुली दर से भिन्न है (जिसके आधार पर ऐसा अनुमान है कि आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं) इसलिये आयात लाइसेंसों के मूल्यों में भी 20 दिसम्बर, 1971 से विदेशी मुद्रा में किये गये भुगतानों की सीमा तक कुछ समायोजन करना आवश्यक होगा। लेकिन, चूंकि नई दरें नियत नहीं है बल्कि वे दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, इसलिये प्रत्येक मामलें में, लाइसेंसों के मूल्य में किसी प्रकार की विशिष्ट वद्धि करने अथवा कमी करने की अनुमति देना और लाइसेंस में पहले से ही तदनुसार संशोधन करना संभव नहीं है। आयात लाइसेंसों के मल्य में अधिकता का प्रश्न ऐसी मुद्राओं के मामलों में उठेगा जिन की अस्थायी दरें विदेशी मुद्रा में विशिष्ट आयातों के लिये भूतकालीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि समानता दर से अधिक है। यदि किसी मामले में, भूतकालीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि दर मिश्रित दर से अधिक होने के कारण किसी प्रकार की वृद्धि मुख्यतया मुद्रा विनिमय की प्रति दिन की दरों के लिये देय है, तो ऐसी वृद्धि को सम्मिलित करने के लिये लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस के मूल्य के लिये विशेष रूप से आशोधित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में, यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंसों को मूल्य की आवश्यक सीमा तक स्वत: संशोधित किया गया समझा जाए।

6. **बैंक गारंटी की धनराशियों में परिवर्तन**—बैंक गारंटियों में अतिरिक्त रूप से यह भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी कि बैंक, जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त धनराशियों को नई दरों में बदलने का वचन लेते है। लेकिन चूंकि नई दरें नियत नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन बदलती है, इस कारण बैंक गारंटी का मूल्य निश्चित धन राशि के लिये संशोधन नहीं किया जा सकता। अत: आयातकों को चाहिये कि जहां आवश्यक हो, वे अपनी बैंक गारंटियों में यह व्यवस्था करने के लिये संशोधन कराएं कि "बैंक ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन लेता है जो इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवश्यक हों।" ऐसी व्यवस्था भविष्य में कार्यान्वित होने वाली सभी गारंटियों में भी की जाएंगी।

7. वर्तमान लाइसेंस-शर्तों में परिवर्तन—समय समय पर जारी की गयी सार्वजनिक सूचना में यथा घोषित लाइसेंस शर्तों के साथ साथ प्रत्येक आयात लाइसेंस को नियंत्रित करने वाली बैंक गारंटी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना को ध्यान में रखते हुए संशोधित की गई समझी जाए ।

8. सामान्य—विदेशी मुद्रा विनिमय में विभिन्न प्राधिकृत व्यापारियों को उपर्युक्त व्यवस्थाओं विषय में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा उनकी जानकारी और मार्ग दर्शन हेतु अलग से परामर्श भेजा जा रहा है ।

SUBJECT.—*Revision of the Exchange Rates in Foreign Currencies and Indian Rupees consequent on the coming into force of the new monetary arrangements with effect from 20th December, 1971—Adjustments in the value of the import licence.*

No. 16-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated the 28th January, 1972 regarding arrangements for the deposit of the rupee equivalent by importers of the cost of imports made under **foreign credits under the direct payment procedure** as applicable to foreign credits consequent on the coming into force of the monetary changes with effect from the 20th December, 1971.

2. Consequent on the fluctuation in the exchange rates of the currencies mentioned in the Public Notice cited above, the value of the import licences already issued will require change. The procedure that should be adopted for effecting such a change where the licences have been issued under various foreign credits has been laid down in para 5 of the Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated the 28th January, 1972. Such a change will also be necessary in case of import licences issued under free resources (where remittances in cash are allowed). As it will not be possible to call for each such licence and deal with the same individually, it has been decided, as a special case, to allow the authorised dealers to effect remittance involved and the Customs Authorities to clear the shipments without insisting on any formal increase or decrease in the value of the import licence so long as the difference has arisen solely due to the fluctuation in the currencies involved.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय:—20 दिसम्बर, 1971 से नई मौद्रिक व्यवस्थाओं के लागू होने के फलस्वरूप विदेशी मुद्राओं और भारतीय रुपयों के बीच की विनिमय दरों का संशोधन आयात लाइसेंस के मूल्य में समायोजन ।

संख्या 16 आई०टी० सी० (पी० एन०)/72.—20 दिसम्बर, 1971 से मौद्रिक परिवर्तनों के लागू होने के फलस्वरूप, सीधे भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत विदेशी क्रेडिटों के लिये लागू विदेशी क्रेडिटों के अन्तर्गत आयातकों द्वारा किये गये आयातों के मूल्य के समतुल्य रुपये निक्षेप करने की व्यवस्थाओं के संबंध में जारी की गई विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई०टी०सी० (पी० एन)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित मुद्राओं की विनिमय दरों में घटाव–बढ़ाव होने के फलस्वरूप, उन लाइसेंसों के मूल्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जो पहले ही जारी किये जा चुके है। विभिन्न विदेशी क्रेडिटों के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों को ऐसे परिवर्तन से प्रभावित करने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये, उसे उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 की कंडिका 5 में निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता उन आयात लाइसेंसों के मामले में भी होगी जो मुक्त स्रोतों से जारी किये गये हैं (जहां नकद में प्रेषण की स्वीकृति है) चूंकि ऐसे प्रत्येक लाइसेंस की मांग करके उस पर अलग अलग विचार करना संभव नहीं होगा, इसलिये इस मामले को विशेष मान कर यह निश्चय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को अन्तर्गस्त प्रेषण को प्रभावी बनाने के लिये स्वीकृति दी जाए और आयात लाइसेंसों के मूल्य में किसी भी औपचारिक वृद्धि अथवा कमी के लिये बाध्य किये बिना ही सीमाशुल्क प्राधिकारी जहाज लदान के लिये स्वीकृति दे देंगे और यह स्वीकृति तब तक दी जाती रहेगी जब तक यह भिन्नता केवल अन्तर्गस्त मुद्राओं में घटाव–बढ़ाव होने के कारण होती है।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972